



राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक :- प.32(1)ज0सं0 / 2014पार्ट

दिनांक : 9/9/2015

अधिसूचना

विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र में दिनांक 21.06.2005 को प्रकाशित हुआ है, की धारा 5(1) के अनुसरण में लोक प्राधिकरण जल संसाधन विभाग के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए निम्नांकित अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी तथा अधिनियम की धारा 19(1)के तहत प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी से रैंक में वरिष्ठ अधिकारी को प्रथम अपील अधिकारी एतद्वारा नियुक्त किया जाता है :-

क्र.सं.	लोक प्राधिकरण	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1.	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग राज. जयपुर।	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, (मुख्यालय) कृते मु0अ0 जल संसाधन विभाग राज. जयपुर।	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर।
2.	मुख्य अभियंता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग, जयपुर।	अधीक्षण अभियंता एवं तकनीकी सहायक। राज्य जल संसाधन कृते मु0अ0 आयोजना विभाग, जयपुर।	मुख्य अभियंता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग, जयपुर।
3.	मुख्य अभियंता, गुण नियंत्रण एवं सतर्कता, जल संसाधन विभाग, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर।	अधीक्षण अभियंता एवं तकनीकी सहायक, गुण नियंत्रण एवं सतर्कता, कृते मु0अ0 जल संसाधन विभाग, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर।	मुख्य अभियंता, गुण नियंत्रण एवं सतर्कता, जल संसाधन विभाग, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर।
4.	मुख्य अभियंता (उत्तर) हनुमानगढ़	अधीक्षण अभियंता एवं तकनीकी सहायक, कृते मु0अ0 (उत्तर) हनुमानगढ़	मुख्य अभियंता (उत्तर) हनुमानगढ़
5.	मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा।	अधीक्षण अभियंता एवं तकनीकी सहायक, कृते मु0अ0 जल संसाधन संभाग, कोटा।	मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा।
6.	मुख्य अभियंता, नर्मदा नहर परियोजना साचौर।	अधीक्षण अभियंता एवं तकनीकी सहायक, कृते मु0अ0 नर्मदा नहर परियोजना साचौर।	मुख्य अभियंता, नर्मदा नहर परियोजना साचौर।
7.	मुख्य अभियंता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर।	अधीक्षण अभियंता एवं तकनीकी सहायक, कृते मु0अ0 इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर।	मुख्य अभियंता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर।



सूचना
का
अधिकार

8.	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर।	अधीक्षण अभियंता एवं तकनीकी सहायक, कृते अति० मु०अ० इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर।	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर।
9.	अतिरिक्त मुख्य अभियंता जल संसाधन संभाग, जयपुर।	अधीक्षण अभियंता एवं तकनीकी सहायक, कृते अति० मु०अ० जल संसाधन संभाग, जयपुर।	अतिरिक्त मुख्य अभियंता जल संसाधन संभाग, जयपुर।
10.	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, जोधपुर।	अधीक्षण अभियंता एवं तकनीकी सहायक, कृते अति० मु०अ० जल संसाधन संभाग, जोधपुर।	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, जोधपुर।
11.	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग उदयपुर।	अधीक्षण अभियंता एवं तकनीकी सहायक, कृते अति० मु०अ० जल संसाधन संभाग उदयपुर।	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग उदयपुर।

अतः उक्त अधिसूचना को पालना सुनिश्चित करावे।

आज्ञा से,

(नेम चन्द वर्मा)

वरिष्ठ शासन उप सचिव,

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, राज. समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. शासन सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
7. संयुक्त सचिव, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर को मय 7 अतिरिक्त प्रतियों के प्रमुख समाचार प्रकाशनार्थ।
9. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समस्त संबंधितों को प्रतियां प्रेषित करने की व्यवस्था करें।
10. समस्त मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग।
11. शासन सचिवालय स्थित सूचना पट्ट।
12. गार्ड फाईल।

वरिष्ठ शासन उप सचिव
जल संसाधन विभाग